न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,पीपाड़ शहर (जोधपुर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :– 25/2025
जीसीएमएसनं. :– 2025/103

वादी :–
अमरचन्द पुत्र घेंवरराम जाति माली निवासी पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. नरसींगराम पुत्र भीयाराम
2. प्यारेलाल पुत्र भीयाराम
3. श्रीकिशन पुत्र भीयाराम
4. शंकरलाल पुत्र भीयाराम फौत के कायम मुकाम :–
4/1 डालीबाई पत्नि शंकरलाल
4/2 दिनेश पुत्र शंकरलाल
4/3 महेन्द्र पुत्र शंकरलाल
4/4 पिंकी पुत्री शंकरलाल
जातियान माली निवासीगण मालियो का उगुणा बास पीपाड़ शहर तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
5. भूमिधारी जरीये तहसीलदार पीपाड़ शहर तहसील कार्यालय पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अधिवक्ता :
श्री निर्मल कटारिया वादी की ओर से
श्री रामकिशोर चौधरी प्रतिवादीगण 1,2,3 की ओर से
प्रतिवादी तहसीलदार पीपाड़ शहर

दर्ज दिनांक :– 04.12.2023

आदेश

दिनांक :– 24.09.2025

प्रतिवादी संख्या एक, दौ, तीन की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी सपठित धारा 151 सी पी सी प्रतिवादी अधिवक्ता बहस के दौरान निवेदन किया कि ग्राम पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 2461 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 2462 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा कुल 03 खसरा कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि वादी के दादा एवं प्रतिवादीगण के दादा रूपाराम पुत्र जीताराम की आई हुई थी। राजस्व रेकर्ड में रूपाराम पुत्र जीताराम कौम माली निवासी पीपाड़ शहर के नाम दर्ज थी रूपाराम की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वर्णित तीनों खसरान की भूमि का फौतेजदगी नामान्तकरण संख्या 1177 दिनांक 25.01.1978 को स्वीकृत नामान्तरण रूपाराम फौत के स्थान पर उनके वारिश घेवरराम, भीयाराम पिसरान रूपाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हुई उपरोक्त वर्णित खसरान 2459, 2461, 2462 वादी के पिता घेवरराम एवम् प्रतिवादीगण के पिता भीयाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद होने के पश्चात वादी के पिता घेवरराम एवम् प्रतिवादी सं. 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी सं. 4/1 से 4/4 के दादा व ससुर भीयाराम यानि खातेदारान घेवरराम व भीयाराम दोनों ने मिलकर राजी खुशी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

सहमति से बंटवाड़ा आवेदन/प्रार्थना पत्र, खातेदारी भूमि विभाजन विलेख, बंटवाड़ा स्टाम्प इत्यादि टंकनकर्ता व प्रलेखक लालसिह चौधरी बिलाड़ा से तैयार करवा कर अपने अपने हस्ताक्षर कर आपसी सहमति से बंटवाड़ा आवेदन राजस्व अधिकारी के समक्ष दिनांक 09.02.1983 को पेश किया। सहमति से बंटवाड़ा आवेदन के साथ बंटवाड़ा इकरानामा का स्टाम्प वादी के पिता घेवरराम ने अपने नाम से खरीद कर स्टाम्प खरीद पर हस्ताक्षर कर साथ संलगन किया सहमति बंटवाड़ा आवेदन व खातेदारी विभाजन विलेख में सहमति से अपने अपने बंट अलग अलग कर एवं अलग – अलग बंट स्वीकार कर बंटवाड़ा आवेदन इकरारनामा स्टाम्प सभी पर वादी के पिता घेवरराम एवम् प्रतिवादीगण के पिता भीयाराम दोनों अपने अपने हस्ताक्षर कर राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन पेश किया था राजस्व अधिकारी ने दिनांक 09.02.1983 को बंटवाड़ा आवेदन/प्रार्थना पत्र के पृष्ठांकन में इस आशय की टिप्पणी कि दिनांक 09.02.1983 को राजस्व अभियान कैम्प पीपाड़ शहर में प्राथीगण श्री घेवरराम, भीयाराम पिसरान रूपाराम माली सा. पीपाड़ सिटी ने पेश किया जिन्हे वार्ड मेम्बर श्री घीसाराम पुत्र हेमाराम जानते है सनाकत की इकरार नामा प्रार्थीयों को पढ़कर सुनाया गया जिसे उन्होने स्वीकार किया तहसीलदा बिलाड़ा ने सहमति प्रकट दस्तावेज स्वीकार किया गया एवं प्रार्थी घेवरराम व भियाराम ने अपने हस्ताक्षर किये एवं प्रार्थीगण घेवरराम व भीयाराम पिसरान रूपाराम माली साकीन पीपाड़ शहर को मैं जानता हूँ मेरे सामने हस्ताक्षर किये जिस पर वार्ड मेम्बर घीसाराम व राजस्व अधिकारी अपने हस्ताक्षर किये चूकि बंटवाड़ा का इकरारनामा तहसीलदार की सहमति से तस्दीक करने पर निम्न प्रकार से विभाजन की स्वीकृति दी गई थी जिसमें वादी के पिता घेवरराम के बंट में खसरा संख्या 2462 कुल रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा एवम् प्रतिवादीगण के पिता भीयाराम के बंट में खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा अलग – अलग बंट कर बंटवाड़ा सहमति से तस्दीक कर बंटवाड़ा राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा बंटवाड़ा स्वीकार कर पटवारी को राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा अमलदरामद हेतू तामील जारी कर राजस्व अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं बंटवाड़ा रजिस्टर 315/83 दिनांक 10.02.1983 दर्ज इन्द्राज किया एवम् राजस्व अधिकारी की तेहरीर व तहसील साहब के आदेश नामान्तकरण संख्या 1638 दिनांक 18.09.1983 को हल्का पटवारी ने अपने नामान्तकरण पर हस्ताक्षर रिपोर्ट कर पेश किया जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक (आर आई) द्वारा आदेशानुसार इन्द्राज सही रिपोर्ट कर अपने हस्ताक्षर किये जो बंटवाड़ा नामान्तकरण 1638 दिनांक 29.09.1983 को तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया। एवम् नामान्तकरण स्वीकृत के तथपश्चात हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सवंत 2039 से 2042 में नामान्तकरण संख्या 1638 स्वीकृत के अनुसार वादी के पिता घेवरराम के बंट में बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 2462 कुल रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा एवम् प्रतिवादीगण के पिता भीयाराम के बंट में बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा का राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अंकन किया था।

वादी के पिता घेवरराम के बंट में बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 2462 कुल रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा कृषि भूमि घेवरराम की खातेदारी दर्ज इन्द्राज की गई एवम् प्रतिवादी के पिता भीयाराम के बंट में बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा की कृषि भूमि भीयाराम की खातेदार दर्ज इन्द्रज की गई थी जो वादी के पिता घेवरराम के इच्छा से स्वतंत्र सहमति से बंटवाड़ा करवाया था जिसकी जानकारी वादी को भलाभंति थी कि 42 वर्ष पूर्व ही

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

वादी के पिता व प्रतिवादी के पिता एवं प्रतिवादी के दादा व दादा ससुर के बीच आपसी सहमति से राजस्व अधिकारी द्वारा बंटवाड़ा स्वीकृत कर दिया था राजस्व अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा बन्टवाड़ा तस्दीक के आदेशानुसार नामान्तकरण संख्या 1638 दिनांक 29.09.1983 स्वीकृत से ही वादी के पिता घेवरराम खसरा संख्या 2462 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि खातेदारी कब्जा काश्त करते चले आ रहे है घेवरराम की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान का खातेदारीसुदा कब्जा काश्त चला आ रहा है एवम् प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता भियाराम प्रतिवादी सं. 4/1 से 4/4 के दादा व ससुर भीयाराम के खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा खातेदारीसुदा कब्जा काश्त चले आ रहे थे भीयाराम की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान का खातेदारीसुदा कब्जा काश्त चले आ रहे है परन्तु वादी पूर्व में हुये बंटवाड़ा तस्दीक के 42वर्ष (बयालीस वर्ष) बाद वादी जान बूझकर फर्जी दिखावटी मसौदा(दावा) तैयार कर बड़ी ही चतुराई से तैयार कर फर्जी झूठे मनगढ़त कथन अंकित कर श्रीमान न्यायालय हाजा में राजस्व प्रार्थना पत्र मय वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया है वादी द्वारा प्रस्तुत वाद कारण प्रकट नही होने से वादी का वाद प्रथम दृष्टया खारिज है एवं वादी का वाद खारिज फरमावे।बंटवाड़ा नामान्तकरण 1638 स्वीकृत दिनांक 29.09.1983 स्वीकृत के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता स्व. भीयाराम पुत्र रूपाराम कौम माली सा. पीपाड़ शहर खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा अपनी खातेदारीसुदा सम्वत 2044 से 2047, 2048 से 2052, 2052 से 2055, 2068 से 2071 अपनी खातेदारी कब्जा काश्त चला आ रहा है भीयाराम को सिरीयल नम्बर 124 दिनांक 20.12.1985 कृषि जो पासबुक पी 35/2024 दिनांक 11.11.1986 खातेदारीसुदा खसरान कब्जा काश्त की पास बुक हल्का पटवारी, भू – अभिलेख निरीक्षक व राजस्व अधिकारी हस्ताक्षर कर जारी की गई थी जिसका नवीनीकरण सितम्बर 1995 हल्का पटवारी, भू – अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार बिलाड़ा किया बंटवाड़ा नामान्तकरण स्वीकृत से भीयाराम अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा काश्त काबिज गिरदावरी सम्वत 2044 से 2047, 2047 से 2050, 2052 से 2055, 2056 से 2059, 2060 से 2063, 2064 से 2067, 2068 व सम्वत 2071 कब्जा काश्त काबिज चले आ रहे है। भीयाराम की मृत्यु दिनांक 03.03.2017 को हो जाने के पश्चात उनके विधिक वारिसान फौतेजदगी नामान्तकरण संख्या 5613 दिनांक 14.07.2017 को स्वीकृत हुआ वारिस भोलीदेवी पत्नि भीयाराम, नरसिंगराम, शंकरलाल, प्यारेलाल, श्रीकिशन पिसरान भीयाराम मीरादेवी, सुरजीदेवी पुत्रीयान सहखातेदारी दर्ज हुई पश्चात भोलीदेवी पत्नि भीयाराम, मीरादेवी, सुरजीदेवी पुत्रीयान भीयाराम द्वारा अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि नरसिंगराम, शंकरलाल, प्यारेलाल, श्रीकिशन पिसरान भीयाराम के हक में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 27.12.2017 को उप पंजीयक पीपाड़ शहर में कर दिया हकत्याग नामान्तकरण दिनांक 5694 तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.01.2018 को स्वीकृत हुआ था तथ पश्चात नरसिंगराम, शंकरलाल, प्यारेलाल, श्रीकिशन पिसरान भीयाराम द्वारा अपनी संयक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा आपसी सहमति से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष पेश किया जो बंटवाड़ा तस्दीक कर स्वीकृत कर स्वीकृत आदेश से बंटवाड़ा नामान्तकरण संख्या 5727 दिनांक 28.09.2018 को स्वीकृत किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी 4/1 से 4/4 के पिता व पति की अलग – अलग खातेदारी दर्ज हुई बंटवाड़ा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 नरसिंगराम के बंट में खसरा संख्या 2464/1 रकबा 0.7766 हेक्टेयर जो सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2858 रकबा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

0.1104 हेक्टेयर खसरा संख्या 2861 रकबा 0.6661 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7765 हेक्टेयर खातेदारी सुदा में काश्त काबिज है जिसकी खसरा गिरदावरी सम्वंत 2076 से 2079 सम्वंत 2080 व सम्वंत 2081 खातेदार काश्त काबिज है एवम् प्रतिवादी संख्या 2 प्यारेलाल के बंट में खसरा संख्या 2459/1 रकबा 0.9384 हेक्टेयर जो सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2863 रकबा 0.9322 हेक्टेयर खातेदारी सुदा में काश्त काबिज है जिसकी खसरा गिरदावरी सम्वंत 2076 से 2079 सम्वंत 2080 व सम्वंत 2081 खातेदार काश्त काबिज है एवम् प्रतिवादी संख्या 3 श्रीकिशन के बंट में खसरा संख्या 2461 रकबा 0.7766 हेक्टेयर जो सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2859 रकबा 0.0440 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2860 रकबा 0.7326 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7766 हेक्टेयर खातेदारी सुदा में काश्त काबिज है जिसकी खसरा गिरदावरी सम्वंत 2076 से 2079 सम्वंत 2080 व सम्वंत 2081 खातेदार काश्त काबिज हैए एवम् प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/4 के पिता व पति शंकरलाल के बंट में खसरा संख्या 2459 रकबा 0.9432 हेक्टेयर जो सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2877 रकबा 0.9295 हेक्टेयर खातेदारी सुदा में काश्त काबिज है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 नरसिंगराम ने अपनी खातेदारीसुदा कृषि भूमि खसरा संख्या 2464/1 रकबा 0.7766 हेक्टेयर भूमि पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा पीपाड़ शहर में अपनी सम्पूर्ण खातेदारीसुदा भूमि को मोरगेज (बन्धक) कर वर्ष 2019 को किसान ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड) प्राप्त किया था सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2858 रकबा 0.1104 हेक्टेयर खसरा संख्या 2861 रकबा 0.6661 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7765 हेक्टेयर काश्त काबिज है एवम् वर्तमान में बैंक से बन्धक है। एवम् प्रतिवादी संख्या 2 प्यारेलाल के बंट में खसरा संख्या 2459/1 रकबा 0.9384 हेक्टेयर भूमि पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा पीपाड़ शहर में अपनी सम्पूर्ण खातेदारीसुदा भूमि को मोरगेज (बन्धक) कर वर्ष 2021 को किसान ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड) प्राप्त किया था जिसका रहननामा नामान्तकरण संख्या 5882 दिनांक 19.02.2021 को स्वीकृत हुआ था सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2863 रकबा 0.9322 हेक्टेयर खातेदारी सुदा में काश्त काबिज है एवम् वर्तमान में बैंक से बन्धक है एवम् प्रतिवादी संख्या 3 श्रीकिशन के बंट में खसरा संख्या 2461 रकबा 0.7766 हेक्टेयर भूमि पर युको बैंक शाखा पीपाड़ शहर में अपनी सम्पूर्ण खातेदारीसुदा भूमि को मोरगेज (बन्धक) कर वर्ष 2019 को किसान ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड) प्राप्त किया था जिसका रहननामा नामान्तकरण संख्या 6020 दिनांक 31.12.2019 को स्वीकृत हुआ था सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में जो सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2859 रकबा 0.0440 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2860 रकबा 0.7326 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7766 हेक्टेयर खातेदारी सुदा में काश्त काबिज है एवम् प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/4 के पिता व पति शंकरलाल के बंट में खसरा संख्या 2459 रकबा 0.9432 हेक्टेयर भूमि पर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा पीपाड़ शहर में किसान ऋण (किसान क्रेडिट कार्ड) प्राप्त किया था जो सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2877 रकबा 0.9295 हेक्टेयर पर प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/4 खातेदारी सुदा में काश्त काबिज है। तथा वादी के पिता घेवरराम व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता भीयाराम बंटवाड़ा नामान्तकरण 1638 स्वीकृत दिनांक 29.09.1983 के पश्चात वादी के पिता घेवरराम खसरा संख्या 2462 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा बंटवाड़ा अनुसार घेवरराम की खातेदारी दर्ज इन्द्राज चली आ रही थी वादी के पिता घेवरराम की मृत्यु 07.04.2002 होने पर वादी द्वारा अपने पिता का फौतेजदगी नामान्तकरण हेतू वादी ने हल्का पटवारी पीपाड़ शहर को आवेदन स्टाम्प

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड शहर (जोधपुर)

पेपर पर वादी अपनी घोषणा का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक वी पी औझा पीपाड़ शहर से तस्दीक करवा कर साथ में अपने पिता घेवरराम व माता भगु बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां हल्का पटवारी के समक्ष पेश किया जिसकी हल्का पटवारी द्वारा जांच कर पेश करने पर नामान्तकरण 3855 स्वीकृत दिनांक 13.10.2008 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत हुआ था एवम् वादी के भाई बंशीलाल का अविवाहित फौत होन पर वादी ने अपने भाई का फौतेजदगी नामान्तकरण भरने हेतु दिनांक 28.12.2018 को प्रार्थना पत्र मय स्टाम्प पर वादी का घोषण पत्र नोटेरी से तस्दीक करवाकर व बंशीलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र व वादी की माता भगु बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां हल्का पटवारी पीपाड़ शहर के समक्ष पेश किया। जिसकी हल्का पटवारी द्वारा जांच कर पेश करने पर नामान्तकरण 5921 स्वीकृत दिनांक 29.07.2019 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत हुआ था एवम् वादी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2462 रकबा 2.1439 हेक्टेयर जो वादी की संयुक्त खातेदारी में से दर्ज खातेदारान कमलादेवी, संतोष, चम्पादेवी पुत्रियां घेवरराम जो वादी की सगी बहिनें है कमलादेवी, संतोष, चम्पादेवी पुत्रियां घेवरराम द्वारा दिनांक 07.07.2021 को उप पंजीयक कार्यालय पीपाड़ शहर के समक्ष उपस्थित होकर खसरा संख्या 2462 रकबा 2.1439 हेक्टेयर में अपना सम्पूर्ण 1/4, 1/4, 1/4 वा हिस्सा निहित सम्पूर्ण हिस्सा वादी के हक में हकत्याग कर दिया था जिसका नामान्तकरण संख्या 6337 दिनांक 19.08.2021 स्वीकृत हुआ था नामान्तकरण स्वीकृत के पश्चात वादी खसरा संख्या 2462 रकबा 2.1439 हेक्टेयर खातेदारसुदा दर्ज है जो सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2857 रकबा 2.0827 हेक्टेयर है जो वादी खातेदारी सुदा है।वादी भली भांति जानता था कि नामान्तकरण संख्या 1638 दिनांक 29.09.1983 स्वीकृत बंटवाड़ा के पश्चात वादी के पिता घेवरराम के नाम खसरा संख्या 2462 कुल रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा बंटवाड़ा अनुसार घेवरराम के नाम से दर्ज इन्द्राज हुई थी एवम् वादी के पिता घेवरराम की मृत्यु 07.04.2002 होने पर वादी द्वारा अपने पिता का फौतेजदगी नामान्तकरण हेतू वादी ने हल्का पटवारी पीपाड़ शहर को आवेदन स्टाम्प पेपर पर वादी अपनी घोषणा का शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक वी पी औझा पीपाड़ शहर से तस्दीक करवा कर साथ में अपने पिता घेवरराम व माता भगु बाई का मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां हल्का पटवारी के समक्ष पेश किया था दिनांक 23.08.2008 वादी द्वारा स्टाम्प पर शपथ पत्र में पेरा संख्या 2 में स्पष्ट घोषण कर कथन किया था कि मेरे पिता घेवरराम के नाम की खसरा संख्या 2462 रकबा 13 बीघा 05 आयी हुई है एवम् वादी के भाई बंशीलाल का अविवाहित फौत होन पर वादी ने अपने भाई का फौतेजदगी नामान्तकरण भरने हेतु दिनांक 28.12.2018 को प्रार्थना पत्र मय स्टाम्प पर शपथ पत्र में पेरा संख्या 3 में स्पष्ट घोषणा कर कथन किया कि मेरा भाई स्व. बंशीलाल के नाम से राजस्व रेकर्ड भू. अभि. निरीक्षक पटवार मण्डल पीपाड़ शहर के खसरा संख्या 2462 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा में संयुक्त खातेदार है एवम् वादी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 2462 रकबा 2.1439 हेक्टेयर मे संयुक्त खातेदार कमलादेवी, संतोष, चम्पादेवी पुत्रियां घेवरराम द्वारा दिनांक 07.07.2021 को उप पंजीयक कार्यालय पीपाड़ शहर के समक्ष उपस्थित होकर खसरा संख्या 2462 रकबा 2.1439 हेक्टेयर में अपना सम्पूर्ण 1/4, 1/4, 1/4 वा हिस्सा निहित सम्पूर्ण हिस्सा वादी के हक में हकत्याग कर दिया था जो हकत्याग को वादी स्वयं स्वीकार किया था नामान्तकरण संख्या 6337 दिनांक 19.08.2021 स्वीकृत हुआ था नामान्तकरण स्वीकृत के पश्चात वादी खसरा संख्या 2462 रकबा 2.1439 हेक्टेयर खातेदारसुदा दर्ज है जो सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2857 रकबा 2.0827 हेक्टेयर है जो वादी खातेदारी सुदा है। वादी को सभी तथ्यों की भली भांति जानकारी होते हुये

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

भी वादी जान बुझ कर तथ्यों छिपाते हुये फर्जी व दिखावटी बहुत ही चतुराई से वादी द्वारा वाद श्रीमान न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जिसमें वादी ने अपने वाद पत्र में अंकन किया कि प्रतिवादी 1 व 3 द्वारा वादी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 प्रस्तुत किया गया है जिसके नोटिस वादी को दिनांक 26.12.2024 को जारी किया गये तो वादी को प्रथम बार पता चला जबकि वादी के पिता घेवरराम द्वारा सहमति से बंटवाड़ा किया था इनकी भी जानकारी भली भांति थी एवम् वादी अपने पिता घेवरराम के मृत्यु पश्चात फौतेजदगी नामान्तकरण के आवेदन शपथ पत्र में स्पष्ट घोषणा की थी एवं अपने भाई के मृत्यु पश्चात फौतेजदगी नामान्तकरण के आवेदन शपथ पत्र में स्पष्ट घोषणा की थी एवं वादी के पक्ष में वादी बहनों हकत्याग किया था जो वादी ने स्वीकार किया था एवम् पश्चात वादी खसरा संख्या 2462 रकबा 2.1439 हेक्टेयर खातेदारसुदा दर्ज है जो सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2857 रकबा 2.0827 हेक्टेयर है जो वादी खातेदारी सुदा है यह सभी तथ्य को वादी भली भंति जानते हुये भी वादी द्वारा प्रस्तुत किया वाद में कारण उत्पन्न प्रकट नही होने से वाद चलने योग्य नही है एवम् वाद खारिज योग्य है।प्रतिवादी संख्या 1 व वादी के मध्य प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का विवाद पहले से ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष विचाराधीन है एवम् प्रतिवादी संख्या 3 व वादी के मध्य प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम का विवाद पहले से ही श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें वादी को सफलता मिलने की उम्मीद नही है इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 पर दबाव बनाने की नियत से उक्त दावा/ वाद पेश किया है एवम् धमकी देने इत्यादि वाद कारण लिखें है वो इस आधार पर भी प्रथम दृष्टया ही झूठे है। किसी भी प्रकार से कोई वाद कारण प्रकट नही होने से वादी का वाद खारिज फरमावे। एंव वादी के पिता वह प्रतिवादी के पिता के मध्य पुर्व में हुवे बंटवाड़े के तहत प्राप्त खातेदारी अधिकारों के सम्बन्ध में वादी के पिता द्वारा अपनी स्वीकारोक्ति प्रकट की है जिसका विस्तृत विवरण उपर लिखित पदों में वर्णित है यानि की वादी के पिता द्वारा आपसी सहमति से हुवे बंटवाड़े को लेकर उनके द्वारा असहमति या आपत्ति नही की गई इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादी का वाद प्रस्तुत बाबत् किसी प्रकार कोई वाद कारण प्रकट नही होता वाद कारण के आभाव में उक्त वाद चलने योग्य नही है।वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में किसी प्रकार कोई वाद कारण प्रकट नही होने से वाद कारण के आभाव में उक्त वाद चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।अन्य कोई उचित आदेश जो प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में पारीत फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या एक, दो व तीन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी सपठित धारा 151 सी पी सी का जवाब वादी वकील द्वारा प्रस्तुत नही किया प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का वादी वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करना चाहा। वादी की और से लिखित बहस पेश कर निवेदन किया की प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने उक्त अनवान में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत किया है जिसके सम्बंध में लेख है कि उक्त वादपत्र वादीगण द्वारा खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा खसरा संख्या 2461 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा , खसरा संख्या 2462 रकबा 13 बीघा 06 बिस्वा कुल खसरा संख्या 03 कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि जिसके मूल खातेदार रूपाराम पुत्र जीताराम थे जिसके स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि जरिये विरासत वादी के पिता घेवरराम को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण के पूर्वज भींयाराम को 1/2 हिस्से के रूप में प्राप्त हुई। इस प्रकार उक्त भूमि में 17 बीघा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

05 बिस्वा भूमि वादी के पिता घेवरराम को 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि भीयाराम के नाम दर्ज रही। तथा वादी कम पढा लिखा व्यक्ति है जिसे राजस्व रिकोर्ड की जानकारी नही रही मात्र इतनी जानकारी रही की वादी के कुल 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि राजस्व रिकोर्ड के हिसाब से दर्ज है। इसलिए प्रतिवादीगण के पास भी 1/2 हिस्सा अनुसार कुल 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि इन्द्राज होगी लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा अभी हाल ही में वादी के विरूद्ध पत्थरगढी की कार्यवाही करने पर वादी के समस्त राजस्व रिकोर्ड की नकले निकाली तो पता चला की वादी के पूर्वजों की कुल 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि मौके पर रही है लेकिन वादी के हक मे मात्र 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि ही राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज है जबकि प्रतिवादीगण के हिस्से में कुल 21 बीघा 05 बिस्वा भूमि राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज है जबकि वादी का मौके पर कुल 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर कब्जा चला आ रहा है जिसके चारों तरफ तारबंदी व कमरे निर्मित है। प्रतिवादीगण द्वारा पत्थरगढी की कार्यवाही किये एंव पत्थरगढी की आड में वादी को अपनी कब्जासुदा 17 बीघा 05 बिस्वा भूमि से जबरन रूप से बेदखल करने की धमकिया देने पर वादी ने उक्त वाद वास्ते घौषणा हेतु श्रीमान न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें प्रतिवादीगण का जवाब दिनांक तक शेष है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र मेटनेबल नही है क्योंकि आदेश 07 नियम 11 सी पी सी निम्न दशाओं मे ही लागु हो सकता है। क – जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है:– जबकि वादपत्र के पैरा संख्या 09 में स्पष्ट है कि बिनाय दावा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण वाद में वर्णित परिस्थितियों अनुसार व दिनांक 18.04.2025 को प्रतिवादीगण संख्या 01 से 04 द्वारा वादग्रस्त आराजी का बैचान हस्तांतरण करने पर उतारू होने व वादी को बेदखल करने की धमकिंया देने पर बमुकाम ग्राम पीपाड़ शहर में उत्पन्न हुआ है जो लगातार उत्पन्न हो रखा है , तब वाद हेतुक पैदा हुआ , जो वादी के वादपत्र से स्पष्ट है। ख – जहां दावाकृत अनुतोष कम किया गया है और वादी मुल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय से नियत किया है ऐसे करने में असफल रहता है:– जबकि वादी का वादपत्र घौषणा,बंटवाड़ा,स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसके लिए वादी ने उचित कोर्ट रूपये 3/– अलावा तलबाना प्रस्तुत किया है। ग – जहां दावाकृत अनुतोष का मुल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है :– जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है एंव न्यायालय द्वारा वादी को कम स्टाम्प की पूर्ति निर्देशित/ आदेशित नही किया है। घ – जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है – जबकि वादी द्वारा प्रस्तु वादपत्र रेवेन्यु लैण्ड संबंधी घौषणा खातेदारी बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का है जो श्रीमान न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार का ही है। ड़ – जहां वादपत्र दो प्रतीयों मे नही भरा गया है :– जबकि वादी का वादपत्र दो प्रतियों में प्रस्तुत है तब सेकिंड कॉपी भी वादपत्र के साथ पत्रावली में उपलब्ध है। च– जहां वादी नियम 09 के प्रावधानों की अनुपालना में असफल रहता है जबकि वादी के वादपत्र में समस्त आवश्यक पक्षकार संयोजित किये गये है तथा प्रतिवादीगण को नोटिस तामिल हो चुका है एंव प्रतिवादीगण द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र मे जो भी अन्य कथन अंकित किये है वे सभी साक्ष्य के मोहताज है जो सभी तथ्य माननीय न्यायालय हाजा द्वारा तनकी कायम की जाकर साक्ष्य के बाद तय किये जायेंगे। तथा प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा दिनांक 09.02.1983 का अंकन अपने प्रार्थना पत्र में किया है जिसका वादी द्वारा न्यायालय अपर जिला कलेक्टर तृतीय जोधपुर में चुनौति दे रखी है जो विचाराधीन है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने बिना किसी विधिक आधार के माननीय

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

न्यायालय हाजा के कीमति समय को नष्ट करने के उददेश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जिसे भारी कोष्ट लगकार खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश किये जो इस अनुसार है।

1. IN The Supreme Court of India Civil appeal no of 2025 (@ Special leave petition) (Civil) no 2137 of 2025)Umadevi vs Anand Kumar on 2 Aprail,2025
2. 2019(1) RRT 417, Board of revenue for rajasthan ,Ajmer
3. 2019(2) RRT 780 Supreme court
4. (Citation :2023(1) DNJ (SC) 5)
5. (2016RBJ 514) in the supreme court of india

उक्त न्यायिक दृष्टांतो के तहत भी प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। साथ ही आदेश 07 नियम 11 सी पी सी की विधिक स्थितियों अनुसार प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वादी के वाद पत्र का आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के प्रावधानों के तहत परीक्षण किया गया। प्रार्थी (प्रतिवादी) वकील द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्य पेश किये है।

उक्त भूमि खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 2461 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 2462 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा कुल 03 खसरा कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा भूमि जो वादी के दादा एवं प्रतिवादी के दादा रूपाराम पुत्र जीताराम की थी।रूपाराम की मृत्यु के पश्चात उक्त खसरान की भूमि का फौतेजदगी नामान्तकरण संख्या 1177 दिनांक 25.01.1978 को स्वीकृत नामान्तरकण के अनुसार रूपाराम फौत के स्थान पर उनके वारिश घेवरराम, भीयाराम पिसरान रूपाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हुआ था।उपरोक्त वर्णित खसरान 2459, 2461, 2462 वादी के पिता घेवरराम एवम् प्रतिवादी सं. 01 से 03 के पिता व प्रतिवादी सं. 4/1 से 4/4 के दादा व ससुर भीयाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हुई थी खातेदारी विभाजन विलेख में सहमति से अपने अपने बंट अलग अलग कर एवं अलग – अलग बंट स्वीकार कर बंटवाड़ा आवेदन इकरारनामा स्टाम्प सभी पर वादी के पिता घेवरराम एवम् प्रतिवादी के पिता भीयाराम दोनों अपने अपने हस्ताक्षर कर राजस्व अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन पेश किया था राजस्व अधिकारी ने दिनांक 09.02.1983 को बंटवाड़ा आवेदन/प्रार्थना पत्र के पृष्ठांकन में इस आशय की टिप्पणी कि दिनांक 09.02. 1983 को राजस्व अभियान कैम्प पीपाड़ शहर में श्री घेवरराम, भीयाराम पिसरान रूपाराम माली सा. पीपाड़ सिटी ने पेश किया जिन्हे वार्ड मेम्बर श्री घीसाराम पुत्र हेमाराम जानते है सनाकत की इकरार नामा प्रार्थीयों को पढ़कर सुनाया गया जिसे उन्होने स्वीकार किया तहसीलदा बिलाड़ा ने सहमति प्रकट दस्तावेज स्वीकार किया गया एवं प्रार्थी घेवरराम व भियाराम ने अपने हस्ताक्षर किये एवं प्रार्थीगण घेवरराम व भीयाराम पिसरान रूपाराम माली साकीन पीपाड़ शहर को मैं जानता हूँ मेरे सामने हस्ताक्षर किये जिस पर वार्ड मेम्बर घीसाराम व राजस्व अधिकारी अपने हस्ताक्षर किये चूकि बंटवाड़ा का इकरारनामा तहसीलदार की सहमति से तस्दीक करने पर निम्न प्रकार से विभाजन की स्वीकृति दी गई थी जिसमें वादी के पिता घेवरराम के बंट में खसरा संख्या 2462 कुल रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा एवम् प्रतिवादीगण के पिता भीयाराम के बंट में खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा अलग – अलग बंट कर बंटवाड़ा सहमति से तस्दीक कर बंटवाड़ा राजस्व अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी

बंटवाड़ा स्वीकार कर पटवारी को राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा अमलदरामद हेतू तामील जारी कर राजस्व अधिकारी ने हस्ताक्षर किये एवं बंटवाड़ा रजिस्टर 315/83 दिनांक 10.02.1983 दर्ज इन्द्राज किया एवम् राजस्व अधिकारी की तेहरीर व तहसील साहब के आदेश बंटवाड़ा नामान्तकरण 1638 दिनांक 29.09.1983 को तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया। एवम् नामान्तकरण स्वीकृत के तथपश्चात हल्का पटवारी द्वारा राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी सवंत 2039 से 2042 में नामान्तकरण संख्या 1638 स्वीकृत के अनुसार वादी के पिता घेवरराम के बंट में बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 2462 कुल रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा एवम् प्रतिवादीगण के पिता भीयाराम के बंट में बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुई थी। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा, जमाबंदी, गिरदावरी, नामांतरण इत्यादि से सिद्ध कर रही है।

वादी के पिता घेवरराम बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 2462 कुल रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि खातेदारी दर्ज हुई थी प्रतिवादी के पिता भीयाराम बंटवाड़ा अनुसार खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि खातेदार दर्ज हुई थी जमाबंदी सम्वत 2044 से लगातार2081 तक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड के अवलोकन से सिद्ध होता है कि वादी के पिता व प्रतिवादीगण के पिता के राजस्व अधिकारी/तहसीलदार द्वारा बंटवाड़ा तस्दीक एंव बंटवाड़ा नामांतरण तस्दीक के पश्चात् सम्वत् 2044 से अलग अलग खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई थी। प्रतिवादीगण मय प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी सपठित धारा 151 सी पी सी के तथ्यों को साबित कर रही है।

प्रतिवादीगण के वकील द्वारा प्रस्तुत खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 09 बीघा 12 बिस्वा भूमि खसरा गिरदावरी सम्वत 2044 से 2047, 2047 से 2050, 2052 से 2055, 2056 से 2059, 2060 से 2063, 2064 से 2067, 2068 व सम्वत 2071 व सम्वत् 2076 से 2079 व सम्वत् 2080 व 2081 से स्पष्ट है कि उक्त खसरान 2459 व 2461 वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण के पिता भीयाराम व उनके देहान्त के पश्चात् प्रतिवादीगण का कब्जाकास्त रहा है वादी का कब्जा कास्त नही है।एवं वादग्रस्त खसरा संख्या 2462 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2044 से 2047 , 2047 से 2050, 2052 से 2055, 2056 से 2059, व सम्वत् 2080 एंव 2081 से स्पष्ट है कि उक्त खसरान 2462 वादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता घेवरराम व उनके देहान्त के पश्चात् वादी का कब्जा कास्त रहा था प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व गिरदावरी प्रतिवादीगण मय प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी पी सी सपठित धारा 151 सी पी सी के तथ्यों को सिद्ध कर रही है।

प्रतिवादीगण के पिता के देहान्त के पश्चात विधिक वारिसान फौतेजदगी नामान्तकरण संख्या 5613 दिनांक 14.07.2017 को स्वीकृत हुआ था एंव नामांतरण स्वीकृत के पश्चात प्रतिवादीगण की माता व बहनो द्वारा अपने हक हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण के हक में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 27.12.2017 को उप पंजीयक पीपाड़ शहर में कर दिया था हकत्याग नामान्तकरण दिनांक 5694 तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.01.2018 को स्वीकृत हुआ था पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त खसरा संख्या 2459 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा व खसरा संख्या 2461 रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा आपसी सहमति से तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा बंटवाड़ा तस्दीक करने के पश्चात स्वीकृत आदेश से बंटवाड़ा नामान्तकरण संख्या 5727 दिनांक 28.09.2018 को स्वीकृत हुआ

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

थापश्चात प्रतिवादीगण अलग – अलग खातेदारी दर्ज हुई थी प्रतिवादी संख्या एक खसरा संख्या 2464/1 रकबा 0.7766 हेक्टेयर सर्वे होने पर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2858 रकबा 0.1104 हेक्टेयर खसरा संख्या 2861 रकबा 0.6661 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7765 हेक्टेयर खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है खसरा गिरदावरी सम्वंत 2076 से 2079 सम्वंत 2080 व सम्वंत 2081 खातेदार काश्त काबिज है एवम् प्रतिवादी संख्या दो खसरा संख्या 2459/1 रकबा 0.9384 हेक्टेयर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2863 रकबा 0.9322 हेक्टेयर खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या तीन खसरा संख्या 2461 रकबा 0.7766 हेक्टेयर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2859 रकबा 0.0440 हेक्टेयर, खसरा संख्या 2860 रकबा 0.7326 हेक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.7766 हेक्टेयर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज में है प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/4 के पिता खसरा संख्या 2459 रकबा 0.9432 हेक्टेयर वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2877 रकबा 0.9295 हेक्टेयर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है। प्रतिवादीगण द्वारा अलग अलग बैंको में मोरगेज रहन रखकर ऋण भी प्राप्त किया प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी खसरा गिरदावरी व बैंक मोरगेज दस्तावेज स्वीकृत नामांतरण से सिद्ध होता है।

बंटवाड़ा के पश्चात् वादग्रस्त खसरा संख्या 2462 रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा भूमि वादी के पिता घेवर राम की सम्वत् 2044 राजस्व रिकोर्ड में दर्ज हुई थी वादी के पिता घेवरराम केदेहान्त 07.04.2002 के पश्चात् वादी द्वारा अपने पिता का फौतेजदगी नामान्तकरण वादी द्वारा हल्का पटवारी पीपाड़ शहर को आवेदन वादी अपनी घोषणा का शपथ पत्र हल्का पटवारी के समक्ष पेश किया नामान्तकरण 3855 स्वीकृत दिनांक 13.10.2008 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत हुआ था एवम् वादी के भाई बंशीलाल का अविवाहित फौत होन पर वादी ने अपने भाई का फौतेजदगी नामान्तकरण दिनांक 28.12.2018 प्रार्थना पत्र मय स्टाम्प पर वादी का घोषण पत्र नोटेरी से तस्दीक हल्का पटवारी पीपाड़ शहर के समक्ष पेश किया। नामान्तकरण 5921 स्वीकृत दिनांक 29.07.2019 को तहसीलदार द्वारा स्वीकृत हुआ था वादग्रसत खसरा संख्या 2462 रकबा 2.1439 हेक्टेयर जो वादी की संयुक्त खातेदारी में से दर्ज खातेदारान कमलादेवी, संतोष, चम्पादेवी पुत्रियां घेवरराम जो वादी की सगी बहिनें है कमलादेवी, संतोष, चम्पादेवी पुत्रियां घेवरराम द्वारा दिनांक 07.07.2021 को उप पंजीयक कार्यालय पीपाड़ शहर के समक्ष उपस्थित होकर खसरा संख्या 2462 रकबा 2.1439 हेक्टेयर में अपना सम्पूर्ण 1/4, 1/4, 1/4 वा हिस्सा निहित सम्पूर्ण हिस्सा वादी के हक में हकत्याग कर दिया था नामान्तकरण संख्या 6337 दिनांक 19.08.2021 स्वीकृत हुआ था नामान्तकरण स्वीकृत के पश्चात वादी खसरा संख्या 2462 रकबा 2.1439 हेक्टेयर राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है वर्तमान सर्वे आधार सवंत 2081 में खसरा संख्या 2857 रकबा 2.0827 हेक्टेयर है प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड जमाबंदीयां व खसरा गिरदावरीयां व स्वीकृत नामांतरण व हकत्यागनामा व आवेदन पत्र व घौषणा पत्र इत्यादि से सिद्ध होता है।

वादी को सभी तथ्यों की भली भांति जानकारी होते हुये भी वादी जान बुझ कर तथ्यों छिपाते हुए श्रीमान न्यायालय हाजा में राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। वाद पत्र में अंकन किया कि प्रतिवादी 1 व 3 द्वारा वादी के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111, 128 प्रस्तुत किया गया है जिसके नोटिस वादी को दिनांक 26.12.2024 को जारी किया गये तो वादी को प्रथम बार पता चला जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से साबित होता है वादी को भली भांति जानता था सभी तथ्य को वादी जानते हुये भी वाद प्रस्तुत किया वाद कारण उत्पन्न नही

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

होता है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया ही किसी प्रकार का कोई वाद कारण वादी को वाद लाने के लिए उत्पन्न होना प्रकट नही होता है।

जहां तक वादी पक्ष द्वारा लिखित बहस में भी अपने वाद पत्र के ही अभिवचन भी किये थे।तो इस सम्बंध में न्यायालय के विनम्र मत में जहां प्रथम दृष्टया ही वाद कारण उत्पन्न ही होना प्रवृत नही होता है वादी का वाद आगे बढाना पूर्ण रूप से न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग होगा तथा वादी के पक्ष को बिना किसी आधार के प्रस्तुत किये गये वाद में किसी प्रकार का अनुतोष इन अभिवचनों के आधार पर प्रदान किया जाता संभव प्रतीत नही होता है। इसलिए वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश–7 नियम–11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दिये गए प्रावधानों के अधीन खारिज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी पी सी सपठित धारा 151 सी पी सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 24.09.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया ।

(नेमा राम)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर